न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 19/2017

प्रार्थीः—	बनाम	अप्रार्थीगण :—
मदनसिंह पुत्र जोरसिंह जाति राजपूत निवासी छोटी दूदनी		1 हरताराम पुत्र सवाजी जाति रेबारी निवासी छोटी दूदनी 2 ग्राम पंचायत दूदनी जरिये सरपंच ग्राम पंचायत दूदनी तहसील बाली 3 ग्रुप सचिव, ग्राम पंचायत दूदनी तहसील बाली

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994

उपस्थित :—

1. श्री यशपालसिंह, विद्वान अभिभाषक प्रार्थी
2. श्री मोहम्मद शरीफ़ काज़ी, विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 1

—: निर्णय :—

दिनांक 19/12/2017

प्रार्थी ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम 1994 के ग्राम पंचायत दूदनी द्वारा मिसल संख्या 04/2011—2012 में पारित प्रस्ताव संख्या 8 दिनांक 05.02.2013 एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 15 दिनांक 12.02.2013 के विरूद्ध पेश की गई। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगणों को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में निगरानी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम छोटी दूदनी में प्रार्थी का पुश्तैनी कदीमी कब्जासुदा भूखण्ड आया हुआ स्थित है, उक्त भूखण्ड पर प्रार्थी के पिता जोरसिंह का सन् 1970 से कब्जा था। ग्राम पंचायत द्वारा प्रार्थी का उक्त भूखण्ड पर पैतृक कब्जा होने के बावजूद भी अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा दिनांक 06.04.2011 को तत्कालीन सरपंच के समक्ष एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त भूखण्ड उसका पुश्तैनी है तथा इसके अलावा उनके पास कोई भूखण्ड अथवा पुश्तैनी मकान या बाडा नही है, अतः पट्टा जारी कराने का निवेदन किया। जबकि अप्रार्थी संख्या 1 का पक्का मकान रेबारियों के बास में मौजूद है, जिसमें अप्रार्थी संख्या 1 का आज भी रहवास है। ग्राम पंचायत दूदनी द्वारा उक्त पट्टा संख्या 15 अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में रियायती दर पर आवंटन किया गया है, जो पंचायती राज नियमों के विपरित है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 रियायती दर पर अथवा निःशुल्क पट्टा प्राप्त करने का अधिकारी नही है, क्योंकि उसके ग्राम छोटी दूदनी में मकान व पुश्तैनी बाडा, कृषि भूमि, बेरा आदि है एवं वह धनाढ्य व्यक्ति है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में जो पडोस अंकित किये है, वह पट्टे में अंकित पडौस से मिलान नही करते है। तीन वार्ड पंचों को मौका निरीक्षण हेतु मनोनीत ही नही किया, मौका निरीक्षण प्रपत्र पर मात्र एक वार्ड पंच के हस्ताक्षर है तथा किस दिनांक को मौका निरीक्षण

अति० जिला कलेक्टर, पाली

किया गया, अंकित नही है। सम्पूर्ण प्रक्रिया एक ही दिन में, एक ही व्यक्ति द्वारा सम्पादित की गई है। इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा पंचायत नियमों में विहित प्रक्रिया का दुरूपयोग करते हुए अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया गया है। अतः निगरानी स्वीकार करावे एवं अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टे को अपास्त करावे।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थी द्वारा इस निगरानी के जरिये मात्र पट्टा निरस्त कराने का अनुतोष चाहा है। निगरानी में किसी भी रूप में प्रस्ताव को चुनौती नही दी है। इस कारण निगरानी पोषणीय नही है। ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जो पट्टा जारी किया गया है, उसका पंजीयन हो चुका है तथा पंजीबद्ध दस्तावेज को निरस्त करने के अधिकार इस न्यायालय को न होकर सिविल न्यायालय को होने से पत्रावली इस न्यायालय के श्रवणाधिकार एवं क्षैत्राधिकार की नही है। प्रार्थी द्वारा उक्त पट्टा रियायती दर जारी नही किया गया है, जबकि बाजार मूल्य पर पट्टा जारी किया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जो पट्टा जारी किया गया है, उसमें पंचायती राज नियमों में विहित प्रक्रिया की पूर्णतः पालना की गई है। अतः निगरानी खारिज योग्य होने से खारिज की जावे।

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा यह निगरानी ग्राम पंचायत दूदनी द्वारा मिसल संख्या 04/2011–2012 में पारित प्रस्ताव संख्या 8 दिनांक 05.02.2013 एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 15 दिनांक 12.02.2013 के विरूद्ध पेश की गई है। जैर निगरानी पट्टे की मिसल का अवलोकन करने पर यह प्रकट होता है कि अप्रार्थी संख्या 1 ने सरपंच ग्राम पंचायत दूदनी के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पुश्तैनी प्लॉट का पट्टा बनाने का निवेदन किया। इस प्रार्थना पत्र पर ग्राम पंचायत दूदनी द्वारा दिनांक 06.04.2011 को मिसल दर्ज करने की स्वीकृति दी गई। इसके पश्चात दिनांक 20.12.2012 को सचिव को नक्शा बनाकर तथा तीन वार्ड पंचों को मौका निरीक्षण कर अपनी रिपोर्ट पंचायत की आगामी बैठक में प्रस्तुत करने का आदेश पारित किया। इस आदेश की पालना में जो नक्शा तैयार कर पत्रावली के संलग्न किया गया है, उस पर ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव के हस्ताक्षर है। जो निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत हुई है, उस पर मात्र एक पंच धनाराम के हस्ताक्षर है, इसके अतिरिक्त सम्पूर्ण प्रपत्र पर किसी प्रकार की टिप्पणी अंकित नही की एवं मात्र रिपोर्ट पर हस्ताक्षर कर अग्रेसित की है। रेकर्ड का अवलोकन करने पर स्थिति भिन्न पाई जाती है। जिस आदेश की पालना में मौका निरीक्षण करने एवं नक्शा तैयार करने के आदेश जारी करना अंकित किया है, बैठक कार्यवाही विवरण के अनुसार हस्तगत मिसल में यह आदेश जारी ही नही किये गए। इस प्रकार बिना कोरम के प्रस्ताव उक्त कार्यवाही की गई है। इसके पश्चात मिसल दिनांक 05.01.2013 को प्रस्तुत होना अंकित करते हुए सात दिन का आपत्ति इश्तिहार जारी करने का निर्णय लिया जाना अंकित किया, किन्तु बेठक कार्यवाही विवरण से यह निर्णय भी मिलान नही करता है। इसके पश्चात दिनांक 21.01.2013 को नियत समयावधि में किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नही होने के कारण अपने कब्जे के समर्थन में दो गवाहों के बयान कलमबद्ध कराने के आदेश पारित किये गऐ। इसके पश्चात दिनांक 05.02.2013 को जैर अपील आज्ञा पारित करते हुए

अति॰ जिला कलेक्टर, पाली

नियम 150 के तहत रिहायती दर राशि जमा करवाने पर अप्रार्थी संख्या 1 के नाम पट्टा जारी करने के आदेश पारित किये। मिसल एवं बैठक कार्यवाही विवरण में इन्द्राज प्रविष्ठि को Compare करने पर यह प्रकट होता है कि मात्र अन्तिम आदेश दिनांक 05.02.2013 के अतिरिक्त मिसल में जो भी आदेश अंकित किए गए है, वे पंचायत कोरम द्वारा पारित ही नही किये गये तथा विधि अनुसार पंचायत कोरम के बिना लिया गया किसी भी प्रकार का निर्णय विधि सम्मत नही माना जा सकता है।

राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 में पट्टा जारी करने की प्रक्रिया विहित है। जिसके अनुसार नियम 145 के तहत पंचायत से कोई भी आबादी भूमि/छूटा हुआ भूखण्ड या भूमि की कोई पट्टी खरीदने का इच्छुक कोई व्यक्ति पंचायत को लिखित आवेदन, उसमें उसका ऐसा विवरण देते हुए प्रस्तुत करने के प्रावधान है, जो क्रय के लिये प्रस्तावित भूमि की पहचान के लिये पर्याप्त हो तथा आवेदन के साथ स्थल निरीक्षण के व्ययों के पेटे पच्चीस रूपये की राशि जमा करानी होगी तथा आवेदन के साथ स्थल का नक्शा संलग्न नही किया गया हो तो आवेदक नक्शा तैयार करने के लिये भी पच्चीस रूपये जमा करायेगा। इसके पश्चात नियम 146 के तहत मिसल कायम करने तथा मौका निरीक्षण हेतु तीन पंचों की कमेटी मनोनीत करने तथा कमेटी द्वारा 15 दिवस के भीतर मौका निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के प्रावधान है। नियम 147 के तहत अनंतिम विनिश्चिय करने एवं नियम 148 के तहत एक माह की अवधि के भीतर आपत्ति आमन्त्रित करने को नोटिस जारी कर प्रकाशित करने के प्रावधान है। नियम 148 के अधीन जारी सूचना के प्रत्युत्तर में प्राप्त आक्षेप के निस्तारण के प्रावधान नियम 149 के तहत प्रदत्त है। नियम 150 के तहत भूमि को नीलाम करने की प्रक्रिया विहित है। नियम 151 में नीलामी समिति प्रावधित है। नियम 152 में बाजार कीमत सम्बन्धी तथा नियम 153 में संदाय एवं पुनर्विक्रय करने के प्रावधान उल्लेखित है तथा नियम 154 के तहत विक्रय की पुष्टि करने के प्रावधान है। नियम 155 के तहत कब्जा सुपुर्द करने के प्रावधान है। नियम 156 के तहत प्राईवेट बातचीत द्वारा आबादी भूमि का अन्तरण करने के प्रावधान हे। नियम 157 के तहत पुराने गृहों का विनियमितीकरण के प्रावधान है, जिसमें 50 वर्ष से अधिकार पूर्व के निर्मित मकानों हेतु 100/– रूपये एवं इन नियमों के लागू होने की तिथि को 50 वर्षो के दौरान बने पुराने मकानो हेतु 200/– रूपये जमा कराने के पश्चात पंचायत द्वारा पट्टा जारी किया जा सकेगा। नियम 158 के तहत भूमियों का कमजोर वर्गो को आवंटन के प्रावधान है। नियम 159 के तहत भूमियों का रियायती कीमत पर आवंटन तथा नियम 160 के तहत अनुमोदन के अध्यधीन अन्तरण और आवंटन के प्रावधान उल्लेखित है।

उपरोक्त सन्दर्भ में हस्तगत प्रकरण का परीक्षण करने पर यह स्पष्ट होता है कि जैर निगरानी आज्ञा पारित करने में ग्राम पंचायत द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 146, 147, 148, 150 की प्रक्रिया की पालना नही की गई तथा बिना किसी प्रस्ताव के मिसल में कार्यवाही की गई है, जो विधि सम्मत नही है तथा इस प्रकार पारित की गई आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टे को कायम रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता है।

परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत दूदनी द्वारा मिसल संख्या 04/2011–2012 में पारित प्रस्ताव संख्या 8 दिनांक 05.02.2013 एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 15 दिनांक 12.02.2013

अति० जिला कलेक्टर, पाली

को अपास्त किया जाता है। इस निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी के साथ ग्राम पंचायत का रेकर्ड लौटाया जावे।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 19/12/2017 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलक्टर, पाली